| | | |
|---|---|---|
| **Note 2:** The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. | | |

[F.No.A.31012/12/2017-CGWB]
S.K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

**सा.का.नि. 184.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड **(**ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण ), भर्ती नियम,1980 को और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड(समूह 'ग'और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम,1968 उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग,केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में **सर्वेक्षक** पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय ,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड,सर्वेक्षक भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वें होगी जो **उक्त / पूर्वोक्त** अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, **तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** ,इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछडें वर्गो** , भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन पद है अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सर्वेक्षक | 50*<br>(2020)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह'ख, अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6<br>(35400-112400 रु.) | लागू नहीं होता | तीस वर्ष से अधिक नहीँ। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियो की दशा में लागू होगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| **आवश्यक अर्हता :**<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय अथवा संस्थान से सिविल या खनन इंजिनियरी में डिप्लोमा<br>**अनुभव** : सरकारी /मान्यता प्राप्त विश्वविधालय या संस्थान/ पैब्लिक सेक्टर उपक्रमों / कानूनी या स्वायत्त संगठन से सर्वेक्षण करने और तलमापन में दो वर्ष का अनुभव रखता हो।<br>**टिप्पण 1-**अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियो की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।<br>**टिप्पण 2-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)<br>उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी | लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा ।<br>(पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारी भरी जा सकेगी।<br>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या<br>(ii) जो वेतन मैट्रिक्स मे स्तर 5 में नियमित आधार पर छ: वर्ष की नियमित सेवा किया हो,और<br>(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियो के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। | | | |

| प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता | **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध मे विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**<br>1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड - अध्यक्ष<br>2. निदेशक (प्रशासन ), केन्द्रीय भू-जल बोर्ड - सदस्य<br>3. वैज्ञानिक 'डी' केन्द्रीय भू-जल बोर्ड - सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। |

[ फा.सं. ए. 31012/14/2017- जी डब्ल्यू ई]

एस.के .कटारिया, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd November, 2020

**G.S.R. 184.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Senior Technical Assistant (Survey), Recruitment Rules, 1980 and the Central Ground Water Board (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules,1968 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the rules regulating the method of recruitment to the post of Surveyor in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Surveyor Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and the Level in the pay matrix.**— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule:

4. **Disqualifications.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether Selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Surveyor | 50*(2020)<br>*Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'B',<br>Non-Gazetted,<br>Non-Ministerial | Level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix | Not applicable | Not exceeding<br>30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>**Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| **Essential Qualification:**<br>Diploma in Civil or Mining Engineering from a recognized University or Institute.<br>Experience: Two years experience of surveying and leveling from Government/recognized University or Institute/Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organization.<br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing. in the case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Not applicable | Two years | By direct recruitment.<br>(Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or<br>(ii) with six years regular service in posts in the level-5 of the pay matrix; and<br>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Column (7). |

| In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exist what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Not applicable | **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of:**<br>1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman;<br>2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member;<br>3. Scientist 'D', Central Ground Water Board – Member. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F.No.A.31012/14/2017-GWE]

S.K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

**सा.का.नि. 185 .**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीक सहायक (जलोत्काविज्ञान) भर्ती नियम, 1971 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जलोत्काविज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जलोत्काविज्ञान) भर्ती नियम 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।